विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो भाग हैं। प्रतिवेदन के भाग–अ में पाँच अध्याय हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में सामान्य जानकारी, "उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नए उपकेन्द्रों का निर्माण एवं विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि" की लेखापरीक्षा एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों से सम्बंधित हैं। प्रतिवेदन के भाग–ब में आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त, विभागों एवं संस्थाओं से सम्बंधित सामान्य जानकारी एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों के दो अध्याय शामिल हैं।

भाग–अ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं धारा 143 के तहत होती है। सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है। ये वित्तीय विवरण सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं।

31 मार्च 2018 को, उत्तर प्रदेश में 107 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) थे, जिसमें छः सांविधिक निगम एवं 101 सरकारी कम्पनियां (46 अकार्यरत सरकारी कम्पनियां सम्मिलित करते हुए) सम्मिलित थीं जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत थीं। 31 मार्च 2018 को, 107 पीएसयूज में कुल निवेश (पूँजी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 1,99,807.67 करोड़ था। 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान किए गए ₹ 69,554.02 करोड़ के कुल निवेश में से ऊर्जा क्षेत्र ने 85.60 प्रतिशत प्राप्त किया।

अध्याय–I : ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी

ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों में 31 मार्च 2018 तक कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 1,83,202.93 करोड़ था। निवेश में पूँजी 58.25 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 41.75 प्रतिशत था। राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 12.88 प्रतिशत (₹ 9,848.09 करोड़) था जबकि अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दिया गया ऋण 87.12 प्रतिशत (₹ 66,636.35 करोड़) था।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा 2015–16 में हुई ₹ 18,127.40 करोड़ की समग्र हानि 2017–18 में बढ़कर ₹ 18,534.62 करोड़ हो गई। ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के वर्ष 2017–18 तक के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर, तीन पीएसयूज ने ₹ 449.01 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 10 पीएसयूज ने ₹ 18,983.63 करोड़ की हानि उठाई। शेष दो पीएसयूज में सीमान्त लाभ/हानि[1] था।

31 मार्च 2018 को पूँजी निवेश के ₹ 94,157.20 करोड़ के सापेक्ष ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज की संचित हानियाँ ₹ 1,33,638.98 करोड़ थी। ऊर्जा क्षेत्र के 15 उपक्रमों में से 11 पीएसयूज का निवल मूल्य (₹ –60,616.92 करोड़) 2017–18 के दौरान पूरी तरह से लुप्त हो गया।

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत डिस्कॉम्स का वित्तीय पुर्नुत्थान

ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) एवं डिस्कॉम्स

[1] सर्दन यूपी पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड : ₹ 682 एवं यमुना पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेडः ₹ 91,611।

(पूवीवीएनएल, पीवीवीएनएल, डीवीवीएनएल, एमवीवीएनएल एवं केस्को[2]) की ओर से उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के बीच राज्य के स्वामित्व वाली ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज को सहायता प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए (30 जनवरी 2016)। उदय योजना एवं एमओयू के प्रावधानों के आधार पर, डिस्कॉम्स के 30 सितंबर 2015 को कुल बकाया ऋण (₹ 53,935.06 करोड़) में से, जीओयूपी ने ₹ 9,783.44 करोड़ की पूँजी, ₹ 19,566.88 करोड़ का अनुदान एवं ₹ 9,783.44 करोड़ के ऋण को उपलब्ध कराते हुये ₹ 39,133.76 करोड़ के कुल बकाया को 2015–16 एवं 2016–17 की अवधि के दौरान अधिग्रहीत किया। इसके अतिरिक्त, जीओयूपी ने भविष्य के वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 409.93 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की।

लेखाओं की गुणवत्ता

ऊर्जा क्षेत्र के कम्पनियों के खातों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 के दौरान 21 अन्तिमीकृत लेखाओं में से, सांविधिक लेखा परीक्षकों ने तीन लेखाओं पर क्वालीफाइड राय जारी की थी। ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के तीन लेखाओं में लेखा मानकों के अनुपालन न करने के 15 दृष्टान्त थे।

अध्याय–II : ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित लेखापरीक्षा

"उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नए उपकेन्द्रों का निर्माण एवं विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि" की लेखापरीक्षा

विद्युत पारेषण को उच्च वोल्टेज पर, सामान्यतः 132 केवी एवं इससे ऊपर, लम्बी दूरी तक ऊर्जा के बहुतायत स्थानान्तरण के रूप में परिभाषित किया गया है। विद्युत उत्पादन संयंत्रों में सापेक्षतया निम्न वोल्टेज पर उत्पादित विद्युत ऊर्जा को पारेषण से पूर्व उच्च वोल्टेज ऊर्जा में उच्चीकृत किया जाता है। एक वोल्टेज स्तर से दूसरे वोल्टेज स्तर पर उच्चीकृत/निम्नीकृत करने एवं वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) की विद्युत प्रणाली को उत्पादन प्रणाली से संयोजित करने हेतु उपकेन्द्रों की सुविधायें जो कि उच्च वोल्टेज विद्युत प्रणाली (पारेषण प्रणाली) का भाग है, प्रयुक्त की जाती हैं।

उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की राज्यान्तारिक पारेषण प्रणाली एवं ग्रिड संचालन का प्रबन्धन उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) में निहित है।

2013–14 से 2017–18 के दौरान किये गये उपकेन्द्र परियोजनाओं के निर्माण/क्षमता वृद्धि के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कम्पनी के निष्पादन का मूल्यांकन करने की दृष्टि से मार्च 2018 से नवम्बर 2018 के मध्य वर्तमान लेखापरीक्षा की गयी।

कम्पनी की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों में पारेषण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कम्पनी ने पूँजीगत संपत्तियों में ₹ 17,788.43 करोड़ विनियोजित किये। कम्पनी ने 20,045 एमवीए क्षमता के 172 नये उपकेन्द्र बनाये एवं विद्यमान 486 उपकेन्द्रों का 23,638 एमवीए से क्षमता विस्तार किया। परिणामस्वरूप, कम्पनी की पारेषण क्षमता में 74 प्रतिशत एवं वास्तविक पारेषित ऊर्जा में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(प्रस्तर 2.7 से 2.8)

[2] पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पूवीवीएनएल), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, (एमवीवीएनएल) एवं कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (केस्को)।

मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम इस प्रकार हैं:

परियोजना का नियोजन

- कम्पनी के पास अपनी नियोजन प्रक्रिया के दिशानिर्देशन हेतु कोई परियोजना नियोजन एवं प्रबन्धन नियमावली (नियमावली) नहीं है। नियमावली नहीं होने के कारण विभिन्न परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में तदर्थ निर्णय लिए गए। परिणामस्वरूप, कुछ उपकेन्द्र उनके स्थापित किये जाने से एक वर्ष के अन्दर ही अतिभारित हो गये, जबकि कुछ मामलों में या तो निष्क्रिय क्षमता सृजित की गई या निर्मित उपकेन्द्र को वाणिज्यिक भार पर नहीं रखा जा सका।

(प्रस्तर 2.13 से 2.14)

अनुबन्ध एवं क्रय प्रबन्धन

- क्रय नीति/अधिप्राप्ति नियमावली और आवधिक क्रय योजना की अनुपस्थिति में, फील्ड इकाइयों द्वारा ₹ 85.26 करोड़ मूल्य के सामग्री की आपूर्ति इन सामग्रियों के प्रत्याशित उपयोग से अत्यधिक पूर्व में प्राप्त की गयी। निर्माण कार्यों के साथ समक्रमिकता सुनिश्चित किये बिना किये गए क्रय से ब्याज भुगतान के रूप में ₹ 5.45 करोड़ का परिहार्य बोझ पड़ा।

(प्रस्तर 2.15 से 2.16)

- कम्पनी अगामी निविदा में प्राप्त कम दरों का लाभ उठाने में असफल रही। इसके परिणामस्वारुप, ₹ 2.77 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(प्रस्तर 2.18)

- कम्पनी एक वर्ष से पाँच वर्षों की अवधि के व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी गारंटी अवधि में क्षतिग्रस्त हुए ₹ 24.75 करोड़ मूल्य के 15 ट्रांसफार्मरों को न उठाने के लिए चूक करने वाली फर्म के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में असफल रही।

(प्रस्तर 2.20)

परियोजनाओं का अधिनिर्णय एवं क्रियान्वयन

- 2013–14 से 2016–17 के मध्य नियोजित 402 उपकेन्द्रों के निर्माण/क्षमता वृद्धि में से, 165 उपकेन्द्रों के निर्माण/क्षमता वृद्धि में 1 से 37 माह का विलम्ब हुआ। विलम्ब के मुख्य कारण समानांतर कार्यों का न किया जाना, भूमि की पहचान एवं अधिग्रहण में विलम्ब, सिविल कार्यों के क्रियान्वयन की अनदेखी एवं फर्मों द्वारा खराब निष्पादन थे। कम्पनी इन अत्यधिक विलम्बित परियोजनाओं की समीक्षा करने एवं इन परियोजनाओं में देरी करने वाली बाधाओं का निराकरण करने में असफल रही।

(प्रस्तर 2.22 से 2.25)

- चार पारेषण परियोजनाओं के प्रकरण में, ₹ 200.08 करोड़ मूल्य के उपकेन्द्र एवं लाइनें पूर्ण हो गयी थीं किन्तु इन उपकेन्द्रों एवं लाइनों से सम्बंधित घटक अभी भी अपूर्ण थे। परिणामस्वरूप, ₹ 200.08 करोड़ मूल्य के पूर्ण घटकों पर व्यय, नौ से अठारह माह के मध्य विस्तारित अवधि तक निष्प्रयोज्य पड़ा रहा जिसके परिणामस्वरुप ₹ 9.37 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(प्रस्तर 2.26)

- पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के साथ किए गए अनुबन्ध में कमियों के कारण, कम्पनी पीजीसीआईएल द्वारा क्रियान्वित ₹ 2,456 करोड़ मूल्य के कार्यों में 12 सप्ताह से 64 सप्ताह के मध्य विस्तारित विलम्ब होने के बावजूद ₹ 215.85 करोड़ की परिसमापन हर्जाना की कटौती करने में असफल रही।

(प्रस्तर 2.27)

- ठेकेदार को सामग्री निर्गत करने से पूर्व अपने वित्तीय हित को सुरक्षित करने हेतु तन्त्र विकसित करने में कम्पनी की विफलता के कारण एवं अनुबन्ध के निरस्त होने के पश्चात् तुरंत भण्डार सामग्री को वापस लेने में कम्पनी के स्तर पर निष्क्रियता होने के कारण दोषी टर्नकी ठेकेदारों ने ₹ 31.31 करोड़ मूल्य की सामग्री का गबन किया।

(प्रस्तर 2.28)

- कम्पनी के एक टर्नकी ठेकेदार ने ₹ 1.32 करोड़ के मूल्य की सामग्री की आपूर्ति विद्युत पारेषण खण्ड (ईटीडी)–II कानपुर को की लेकिन एक ही बिल को दो खण्डों के लिए यानि ईटीडी–II कानपुर एवं ईटीडी–II बाँदा को प्रस्तुत किया। वास्तविक रूप में बिना सामग्री को खण्ड में प्राप्त किये ईटीडी–II बाँदा ने सामग्री की प्राप्ति को प्रलेखित किया एवं भुगतान कर दिया।

(प्रस्तर 2.30)

कोष प्रबन्धन एवं अनुश्रवण तन्त्र

- ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यों की पॉवर सिस्टम डिवैलपमैंट फंड योजना में औपचारिक स्वीकृति से पूर्व आशय पत्र निर्गत करने के अविवेकी निर्णय के कारण कम्पनी ₹ 69.21 करोड़ का अनुदान प्राप्त नहीं कर सकी।

(प्रस्तर 2.33)

- कम्पनी के पास अपना आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं था जिसके परिणामस्वरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा तन्त्र प्रभावी नहीं था।

(प्रस्तर 2.35)

संस्तुतियों का सारांश:

- **कम्पनी के पास परियोजना नियोजन एवं प्रबन्धन नियमावली होनी चाहिए। इसे भावी आवश्यकताओं का उचित ध्यान रखते हुए पारेषण परियोजनाओं हेतु दीर्घ अवधि की योजना तैयार करनी चाहिए।**
- **कम्पनी की एक क्रय नीति/अधिप्राप्ति नियमावली होनी चाहिए। इसकी अधिप्राप्ति योजना परियोजनाओं के क्रियान्वयन के समक्रमिक होनी चाहिए। इसको अनुबन्ध के प्रावधानों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एक तन्त्र बनाना चाहिए।**
- **कम्पनी को परियोजना के समापन में विलम्ब से बचने हेतु इसके क्रियान्वयन से सम्बंधित समस्त समान्तर क्रियाकलाप प्रारम्भ करने चाहिए। अत्यधिक विलम्बित हुए उपकेन्द्रों के निर्माण के औचित्य की पुर्नवैधता हेतु इसका समीक्षा तन्त्र होना चाहिए। इसे इस तरह की अनुबन्ध की शर्तें बनानी एवं क्रियान्वित करनी चाहिए जिससे कम्पनी के वित्तीय हितों की रक्षा हो सके।**
- **कम्पनी को अपना कोष प्रबन्धन एवं अनुश्रवण तन्त्र सुदृढ़ करना चाहिए। कम्पनी का अपना आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग होना चाहिए।**

अध्याय–III: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

इस अध्याय में सम्मिलित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन की कमियों को उजागर करते हैं। इंगित की गयी अनियमितताएँ निम्नलिखित प्रकृति की हैं:

- एक उपभोक्ता को गलत बिलिंग के कारण **मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** को ₹ 3.26 करोड़ के राजस्व की हानि सहन करनी पड़ी।

(प्रस्तर 3.1)

- **पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** और **उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड** ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये तीन मामलों में ₹ 5.89 करोड़ की राजस्व की वसूली की।

(प्रस्तर 3.2, 3.3 एवं 3.4)

अध्याय–IV: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) उपक्रमों के कार्यकलाप

31 मार्च 2018 को उत्तर प्रदेश में 92 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) थे इनमें 49 कार्यरत पीएसयूज (43 कार्यरत कम्पनियां तथा छः सांविधिक निगम) एंव 43 अकार्यरत पीएसयूज (सभी कम्पनियां) सम्मिलित थे। 92 राज्य पीएसयूज में से, 21 पीएसयूज जो कार्यरत थे एवं जिन्होंने 2015–16 या बाद की अवधि तक अपने लेखे तैयार कर लिए थे, को विस्तृत वित्तीय विश्लेषण के लिए चुना गया था। अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार इन 21 पीएसयूज ने 2017–18 के दौरान ₹ 7,725.28 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त किया। यह टर्नओवर राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 0.56 प्रतिशत के बराबर था।

उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी

31 मार्च 2018 तक इन 21 पीएसयूज में कुल निवेश ₹ 9,407.26 करोड़ (पूँजी ₹ 4,495.12 करोड़ एवं दीर्घकालिक ऋण ₹ 4,912.14 करोड़) था। निवेश में पूँजी 47.78 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 52.22 प्रतिशत सम्मलित थे। राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घकालिक ऋणों का 34.51 प्रतिशत (₹ 1,694.98 करोड़) था जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 65.49 प्रतिशत (₹ 3,217.16 करोड़) केन्द्र सरकार एंव अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया गया था।

कार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन

इस अध्याय में शामिल किए गए 21 राज्य पीएसयूज में से 16 पीएसयूज ने (₹ 423.52 करोड़) का लाभ कमाया, इन पीएसयूज को लाभ या तो एकाधिकारी का फायदा या निश्चित स्रोत से आय जैसे बजटीय सहायता, सेन्टेज, कमीशन, बैंक जमा पर ब्याज आदि के कारण है। वर्ष 2017–18 में शीर्ष लाभ कमाने वाली कम्पनियां उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (₹ 158.95 करोड़), उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (₹ 97.19 करोड़), उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम (₹ 51.23 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (₹ 38.73 करोड़) थीं। वर्ष 2017–18 के दौरान पाँच पीएसयूज द्वारा उठायी गयी कुल हानि ₹ 56.58 करोड़ में से ₹ 30.54 करोड़ की हानि एकाधिकारी क्षेत्र की तीन पीएसयूज ने उठायी थीं जबकि ये खुली बाजार की प्रतिस्पर्धा में नहीं थीं।

आगे 2017–18 के दौरान प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में कार्यरत दो पीएसयूज[3] ने ₹ 26.04 करोड़ की हानि उठायी। इन पीएसयूज ने 2015–16 से 2017–18 की अवधि के दौरान लगातार हानि उठायी एंव इनकी संचित हानि 2015–16 के ₹ 618.63 करोड़ से बढ़कर 2017–18 में ₹ 630.32 करोड़ हो गयी। इन दोनो पीएसयूज के निवल मूल्य का पूर्ण क्षरण उनकी संचित हानि से हो गया था एवं 31 मार्च 2018 को इनमे पूँजी निवेश ₹ 228.82 करोड़ के विरुद्ध इनका निवल मूल्य (–) ₹ 401.50 करोड़ था। यह इन पीएसयूज की निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

लेखाओं की गुणवत्ता

पीएसयूज के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान अंतिम रूप दिये गये कार्यरत पीएसयूज के 33 लेखाओं में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 16 लेखाओं पर क्वालीफाईड राय प्रदान की एवं उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2016–17 के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षक ने प्रतिकूल प्रतिवेदन दिये थे। 22 लेखाओं में लेखाकंन मानकों की अनुपालना नहीं करने के 69 मामले थे। सीएजी ने भी पाँच लेखाओं यथा अपट्रॉन

[3] उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड एवं दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कार्पोरेशन आफ यू. पी. लिमिटेड।

पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (2016–17), श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड (2016–17), इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (2014–15), उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन लिमिटेड (2016–17) एवं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (2013–14) में प्रतिकूल प्रमाण–पत्र निर्गत किए थे।

लेखाओं का बकाया एवं समापन

49 कार्यरत पीएसयूज में से केवल पाँच पीएसयूज ने वर्ष 2017–18 के लेखे प्रस्तुत किये हैं। 30 सितंबर 2018 को 44 कार्यरत पीएसयूज के 191 लेखे बकाया थे। 43 अकार्यरत पीएसयूज में से 41 पीएसयूज के 627 लेखे बकाया थे। सरकार को अकार्यरत पीएसयूज के समापन के सम्बंध में उचित निर्णय लेना चाहिये।

अध्याय–V: राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

इस अध्याय में सम्मिलित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के प्रबन्धन की कमियों को उजागर करते हैं। इंगित अनियमिताएँ मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं:

- **उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम** ने सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के उल्लघंन में एसी बसों के यात्रियों पर सेवा कर न आरोपित किया और न वसूला जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को ₹ 18.31 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 5.1)

- निविदा प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण **उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद** को आवंटियों को ₹ 11.38 करोड़ की परिहार्य क्षतिपूर्ति देनी पड़ी।

(प्रस्तर 5.2)

- भूखण्डों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य के गलत निर्धारण के कारण **उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद** ₹ 2.27 करोड़ से वंचित रहा।

(प्रस्तर 5.3)

- उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों के विरूद्ध तथा आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के पूर्व ठेकेदार को ₹ 40.86 करोड़ का मोबलाईजेशन अग्रिम दिये जाने के कारण **उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद** को ब्याज के रूप ₹ 1.50 करोड़ की धनराशि की हानि हुई।

(प्रस्तर 5.4)

- **उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड** ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ बिना अनुबन्ध किये भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव शुरू किया परिणामस्वरूप अधिग्रहण प्रक्रिया को रद्द करने की वजह से ₹ 6.49 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 5.5)

- **उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड** ने अनुपयुक्त भूमि का चयन किया एवं नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम प्रभावी होने के कारण मुआवजे की संशोधित उच्च दरों की अनदेखी की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.92 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 5.6)

- **उत्तर प्रदेश जल निगम** द्वारा टिम्बरिंग के कार्य की अतिरिक्त मदों का निष्पादन उच्चतर दरों पर किये जाने के परिणाम स्वरूप ठेकेदार को ₹ 4.05 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

(प्रस्तर 5.7)

- **उत्तर प्रदेश जल निगम** ने अस्वीकार्य वृद्धि की अनुमति देकर ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार को ₹ 4.09 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 5.8)

भाग–ब आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभाग एवं संस्थाएँ (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त)

अध्याय–VI: परिचय

उत्तर प्रदेश सरकार के अठारह विभाग आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति नीचे तालिका में दी गई है।

तालिकाः आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विभाग	2015-16	2016-17	2017-18
ऊर्जा	48,218.81	33,976.69[4]	17,265.50[5]
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	3,080.27	6,296.11[6]	1,740.56[7]
आवास एवं शहरी नियोजन	2,213.97	2,888.06	723.39[8]
राजस्व (कलेक्ट्रेट के अतिरिक्त)	2,495.16	2,721.56	2,987.80
वन	840.46	1,231.72	808.21[9]

स्रोत : सम्बंधित वर्षों के विनियोजन लेखे

(प्रस्तर 6.2)

अध्याय–VII: आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों और संस्थाओं के प्रबन्धन में कमियों को उजागर करने वाले अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षणों, जिनके गंभीर वित्तीय निहितार्थ हैं, को इस अध्याय में शामिल किया गया है। इंगित की गयी अनियमितताएँ इस प्रकार हैं।

- **आवास एवं शहरी नियोजन विभाग** ने भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क लगाये बिना महायोजना में इंगित भू–उपयोग में परिवर्तन करके विकासकर्त्ताओं को अनुचित लाभ दिया है, जिसके परिणामस्वरूप गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की लागत पर हाई–टेक टाउनशिप विकासकर्ताओं को ₹ 572.48 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

(प्रस्तर 7.1.1)

- **गाजियाबाद विकास प्राधिकरण** शुद्ध क्षेत्रफल में वृद्धि पर अतिरिक्त भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क लगाने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप न केवल हाई–टेक टाउनशिप विकासकर्ताओं के पक्ष में अनुचित लाभ, बल्कि प्राधिकरण को ₹ 6.83 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ।

(प्रस्तर 7.1.2)

---

[4] उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) के लिए 2015–16 में ₹ 24,232.47 करोड़ एवं 2016–17 में ₹ 14,801.29 करोड़ व्यय किये गये।

[5] 2017–18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः विद्युत सब्सिडी, पूँजीगत व्यय तथा विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण में कमी के कारण थी।

[6] पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे के लिए 2016–17 में ₹ 2,882.25 करोड़ निर्गत किये गये।

[7] 2017–18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः सड़कों एवं सेतुओं पर पूँजीगत व्यय में कमी के कारण थी।

[8] 2017–18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः शहरी विकास, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर व्यय; शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, आवास एवं शहरी विकास पर पूँजीगत व्यय में कमी तथा शहरी विकास के लिए ऋणों में कमी के कारण थी।

[9] 2017–18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः वानिकी एवं वन्यजीवों पर पूँजीगत व्यय में कमी के कारण थी।

- **गाजियाबाद विकास प्राधिकरण** प्रचलित लागत सूचकांक के आधार पर नगर विकास शुल्क में संशोधन और इसकी वसूली करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.91 करोड़ का नुकसान हुआ।

(प्रस्तर 7.1.3)

- **गाजियाबाद विकास प्राधिकरण** ने पुलिस सिटी सहकारी समिति पर ₹ 10.91 करोड़ का भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क कम लगाया।

(प्रस्तर 7.2)

- **गाजियाबाद विकास प्राधिकरण** ने उत्तर प्रदेश सरकार की संपत्तियों की लागत के लिए आदर्श दिशा–निर्देशों का उल्लंघन कर अनुमन्य फ्लोर एरिया अनुपात के अनुसार सामूहिक आवासीय भूखण्डों की आरक्षित दर निर्धारित करने में विफलता के कारण ₹ 70.73 करोड़ की हानि वहन की।

(प्रस्तर 7.3.1)

- **गाजियाबाद विकास प्राधिकरण** को, सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर कार्नर की सम्पत्ति की नीलामी हेतु आरक्षित दरों में कार्नर शुल्क शामिल न करने से ₹ 10.74 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 7.3.2)

- **गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, मेरठ विकास प्राधिकरण और लखनऊ विकास प्राधिकरण** अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए भूखण्डों के विक्रय पर ₹ 70.51 करोड़ का अवस्थापना अधिभार आरोपित करने में विफल रहे।

(प्रस्तर 7.3.3)

- मेडिकल कॉलेज के प्रवर्तक को प्रोत्साहन योजना का अनुचित लाभ देने से **गाजियाबाद विकास प्राधिकरण** को ₹ 22.14 करोड़ की हानि हुयी।

(प्रस्तर 7.4)

- **लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण** उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार मानचित्रों की स्वीकृति के समय ₹ 5.86 करोड़ के लेबर सेस का आंकलन एवं संग्रह करने में विफल रहा।

(प्रस्तर 7.5)

- **उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण** चूककर्ता फर्मों पर परिसमापन क्षतिपूर्ति आरोपित करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप उनको ₹ 1.73 करोड़ का अनुचित लाभ दिया।

(प्रस्तर 7.6)